पत्रांक–2ब०/जला०–01–08/2012 246 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, बाढ़।

पटना, दिनांक–09/3/17

विषयः– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत House to House Connection हेतु ₹88.66770 लाख (अठासी लाख छियासठ हजार सात सौ सत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या– 1239, दिनांक– 17.05.2013 के द्वारा बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजना हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹911.11096 लाख स्वीकृत किया गया था। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है।

2. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक– 66, दिनांक– 16.02.2017 के द्वारा बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत House to House Connection हेतु ₹88.66770 लाख (अठासी लाख छियासठ हजार सात सौ सत्तर रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्राक्कलन में 4155 घरों में House to House Connetion हेतु प्राक्कलन दो भाग में तैयार किया गया है। प्राक्कलन के भाग– A में House to House Connection हेतु ₹1514.00 (पन्द्रह सौ चौदह रु०) मात्र प्रति परिवार एवं रोड कटिंग एवं फिटिंग के लिए ₹620.00 प्रति परिवार की दर अर्थात कुल ₹2134.00 मात्र प्रति परिवार की दर पर 2920 परिवारों के लिए ₹88.66770 लाख (अठासी लाख छियासठ हजार सात सौ सत्तर रु०) मात्र का प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना जोन, पटना द्वारा प्रदान किया गया है।

3. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के उक्त के अनुरोध के आलोक में बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 4155 घरों में House to House Connection हेतु विचारोपरांत ₹88.66770 लाख (अठासी लाख छियासठ हजार सात सौ सत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल स्तंभ– 5 के

अनुरूप ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०– 245, दिनांक– 09/3/17 के आलोक में निम्नवत आवंटित की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर परिषद, बाढ़	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 4155 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	88.66770	44.33385	44.33385

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र।

4. उक्त आवंटित राशि ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बाढ़ होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी तत्पश्चात चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।**

5. उक्त आवंटित राशि ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष 01– जल पूर्ति–लघु शीर्ष –192– नगर पालिकाओं/नगर परिषद् को सहायता – उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215011920101** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 66, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण से की जाएगी।

6. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र

सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(vi) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

12. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–08/2012 246 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–09/3/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण–01 एवं 02, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

आनन्द · 9/3/17

पत्रांक–2ब० / जला०–01–08 / 2012 245 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–09/03/17

विषयः– **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत House to House Connection हेतु ₹88.66770 लाख (अठासी लाख छियासठ हजार सात सौ सत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय राज्यादेश संख्या– 1239, दिनांक– 17.05.2013 के द्वारा बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजना हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹911.11096 लाख स्वीकृत किया गया था। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है।

2. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक– 66, दिनांक– 16.02.2017 के द्वारा बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत House to House Connection हेतु ₹88.66770 लाख (अठासी लाख छियासठ हजार सात सौ सत्तर रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्राक्कलन में 4155 घरों में House to House Connetion हेतु प्राक्कलन दो भाग में तैयार किया गया है। प्राक्कलन के भाग– A में House to House Connection हेतु ₹1514.00 (पन्द्रह सौ चौदह रु०) मात्र प्रति परिवार एवं रोड कटिंग एवं फिटिंग के लिए ₹620.00 प्रति परिवार की दर अर्थात कुल ₹2134.00 मात्र प्रति परिवार की दर पर 2920 परिवारों के लिए ₹88.66770 लाख (अठासी लाख छियासठ हजार सात सौ सत्तर रु०) मात्र का प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना जोन, पटना द्वारा प्रदान किया गया है।

3. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के उक्त के अनुरोध के आलोक में बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 4155 घरों में House to House Connection हेतु विचारोपरांत ₹88.66770 लाख (अठासी

लाख छियासठ हजार सात सौ सत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल स्तंभ– 5 के अनुरूप ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर परिषद, बाढ़	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित बाढ़ शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 4155 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	88.66770	44.33385	44.33385

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बाढ़ होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी तत्पश्चात चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।**

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹44.33385 लाख (चौवालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष 01– जल पूर्ति–लघु शीर्ष –192– नगर पालिकाओं/नगर परिषद् को सहायता – उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215011920101** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 66, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण से की जाएगी।

6. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–

(i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(vi) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

12. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०–01–08/2012 के पृष्ठ सं०– 35 /टि० पर दिनांक– 07.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 35 /टि० पर दिनांक– 08.03.2017 को प्राप्त है ।

14. इसकी सूचना प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बाढ़/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–08/2012 245 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–09/3/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बाढ़/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण–01 एवं 02, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

आनन्द · राजेश